<u>सं0 -२९/२०१८/624/52-3-2018-सा(45)/2017</u>

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषयः-वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन आदि के प्राविधानों का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आदेश दिनॉक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2- प्रभावी होने की तिथिः-

2(1) यह आदेश राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार है तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवगंत होगें पर लागू होगें।

2(2) जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले में दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

2- परिलब्धियॉ :-

3(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृतिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जो क्षक/कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3(2) ''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षण वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनॉक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नही होगें।

3(3) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

4- पेंशन :-

4(1) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नही होगी, परन्तु ऐसे 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्पधारी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मी राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होगें।

4(2) उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2016 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत बनाये रखा गया है, जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि

आनुपातिक रुप से कम हो जायेगी। उक्त व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर भी लागू मानी जायेगी।

4(3) पेंशन की अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नही होगी।

4(४) वृद्ध पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की आयु	**पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक मूल	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि पी.पी.ओ. से अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा होगी।

5- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :

60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) से अधिक नही होगी।

6- पारिवारिक पेंशन :

6(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

6(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

6(3) वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-4(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

6(4) **पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-**

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

<u>वर्ग-2</u>

(ग)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नही है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णता आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न जो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनके जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिए बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपारान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही होगी।

7- पेंशन के एक भाग का राशिकरण :

7(1) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7(2) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 20 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

8- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया :

(क) इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निधारित सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाय। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(ख) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान ऐसे पेंशनर/ पारिवारिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को कर दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4/303/दस-2018, दिनॉक 24 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>सं 624(1)52-3-2018-तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0/वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0 -२९/२०१८/624/52-3-2018-सा(45)/2017</u>

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषयः-वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन आदि के प्राविधानों का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आदेश दिनॉक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2- प्रभावी होने की तिथिः-

2(1) यह आदेश राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार है तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवगंत होगें पर लागू होगें।

2(2) जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले में दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

2- परिलब्धियॉ :-

3(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृतिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जो क्षक/कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3(2) ''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षण वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनॉक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नही होगें।

3(3) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

4- पेंशन :-

4(1) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नही होगी, परन्तु ऐसे 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्पधारी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मी राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होगें।

4(2) उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2016 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत बनाये रखा गया है, जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि

आनुपातिक रुप से कम हो जायेगी। उक्त व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर भी लागू मानी जायेगी।

4(3) पेंशन की अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नही होगी।

4(४) वृद्ध पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की आयु	**पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक मूल	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि पी.पी.ओ. से अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा होगी।

5- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :

60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) से अधिक नही होगी।

6- पारिवारिक पेंशन :

6(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

6(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

6(3) वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-4(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

6(4) **पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-**

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

<u>वर्ग-2</u>

(ग)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नही है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णता आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न जो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनके जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिए बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपारान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही होगी।

7- पेंशन के एक भाग का राशिकरण :

7(1) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7(2) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 20 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

8- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया :

(क) इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निधारित सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाय। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(ख) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान ऐसे पेंशनर/ पारिवारिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को कर दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4/303/दस-2018, दिनॉक 24 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>सं 624(1)52-3-2018-तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0/वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0 -२९/२०१८/624/52-3-2018-सा(45)/2017</u>

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषयः-वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन आदि के प्राविधानों का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आदेश दिनॉक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2- प्रभावी होने की तिथिः-

2(1) यह आदेश राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार है तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवगंत होगें पर लागू होगें।

2(2) जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले में दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

2- परिलब्धियॉ :-

3(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृतिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जो क्षक/कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3(2) ''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षण वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनॉक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नही होगें।

3(3) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

4- पेंशन :-

4(1) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नही होगी, परन्तु ऐसे 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्पधारी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मी राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होगें।

4(2) उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2016 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत बनाये रखा गया है, जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि

आनुपातिक रुप से कम हो जायेगी। उक्त व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर भी लागू मानी जायेगी।

4(3) पेंशन की अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नही होगी।

4(४) वृद्ध पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की आयु	**पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक मूल	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि पी.पी.ओ. से अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा होगी।

5- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :

60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) से अधिक नही होगी।

6- पारिवारिक पेंशन :

6(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

6(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

6(3) वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-4(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

6(4) **पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-**

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

<u>वर्ग-2</u>

(ग)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नही है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णता आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न जो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनके जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिए बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपारान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही होगी।

7- पेंशन के एक भाग का राशिकरण :

7(1) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7(2) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 20 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

8- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया :

(क) इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निधारित सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाय। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(ख) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान ऐसे पेंशनर/ पारिवारिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को कर दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4/303/दस-2018, दिनॉक 24 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>सं 624(1)52-3-2018-तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0/वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।

<u>सं0 -२९/२०१८/624/52-3-2018-सा(45)/2017</u>

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषयः-वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरुप राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन आदि के प्राविधानों का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आदेश दिनॉक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2- प्रभावी होने की तिथिः-

2(1) यह आदेश राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार है तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवगंत होगें पर लागू होगें।

2(2) जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के मामले में दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

2- परिलब्धियॉ :-

3(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृतिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जो क्षक/कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3(2) ''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षण वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनॉक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नही होगें।

3(3) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

4- पेंशन :-

4(1) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नही होगी, परन्तु ऐसे 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्ति के विकल्पधारी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मी राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होगें।

4(2) उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2016 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत बनाये रखा गया है, जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि

आनुपातिक रुप से कम हो जायेगी। उक्त व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त राज्यानुदानित मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर भी लागू मानी जायेगी।

4(3) पेंशन की अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नही होगी।

4(४) वृद्ध पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की आयु	**पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक मूल	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे अनुमन्यता की तिथि पी.पी.ओ. से अतिरिक्त पेंशन का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा होगी।

5- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :

60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) से अधिक नही होगी।

6- पारिवारिक पेंशन :

6(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

6(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य रुप से की जायेगी जो अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

6(3) वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-4(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

6(4) **पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-**

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

<u>वर्ग-2</u>

(ग)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नही है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णता आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न जो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनके जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिए बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपारान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही होगी।

7- पेंशन के एक भाग का राशिकरण :

7(1) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 40 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

7(2) ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है और जो 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं को अधिकतम पेंशन का 20 प्रतिशत अंश बेचने का अधिकार होगा।

8- अवशेष भुगतान की प्रक्रिया :

(क) इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निधारित सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाय। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(ख) किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान ऐसे पेंशनर/ पारिवारिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को कर दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4/303/दस-2018, दिनॉक 24 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>सं 624(1)52-3-2018-तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0/वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव।